कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सिवान।
(जिला नजारत शाखा)
विज्ञापन संख्या–01/2017–18

सी0 डब्लू0 जे0 सी0 सं0–**11783**/2012 एवं इससे उत्पन्न एम0 जे0 सी0 सं0–200/13 विजय कुमार चौधरी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में सिवान जिलान्तर्गत विभिन्न कार्यालयों में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत विभिन्न परिपत्रों में निहित प्रावधानों के अनुसार जिला स्तर पर एक पैनल तैयार किया जाना है।

सिवान जिला के लिए जिला स्तर पर पैनल तैयार करने हेतु इस विज्ञापन के अनुसार इच्छुक व्यक्ति जो निम्नलिखित योग्यता एवं शर्त्ते पूरा करते है, वे अपना आवेदन–पत्र संलग्न प्रपत्र में जिला पदाधिकारी, सिवान के पदनाम से **दिनांक** 20/5/17 **के अपराह्न 03 बजे तक** निबंधित डाक द्वारा दे सकते हैं। आवेदन के **Envelope** पर ''सिवान जिला में चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति हेतु पैनल के लिए आवेदन'' अंकित रहना चाहिए। कोई भी आवेदन–पत्र कार्यालय में सीधे प्राप्त नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद कोई आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

<u>अभ्यर्थी के लिए अर्हताएँ एवं शर्त्तें निम्न प्रकार होगी</u> :–

1. नियोजनालय में **दिनांक 31.03.2017** तक निबंधित होना आवश्यक है।
2. 31.03.2017 के पूर्व तक शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
3. साईकिल चलाना जानना आवश्यक होगा।
4. समाहरणालय एवं जिला अन्तर्गत अन्य कार्यालयों में कुल रिक्तियों की संख्या–71 है, जो संशोधित हो सकती है।
5. उम्र सीमा **दिनांक 31.03.2017** को निम्न प्रकार होनी चाहिए :–
   - i. सामान्य (अनारक्षित) पुरूष :– 18 से 37 वर्ष।
   - ii. सामान्य (अनारक्षित) महिला :– 18 से 40 वर्ष।
   - iii पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरूष एवं महिला) 18 से 40 वर्ष।
   - iv अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति (पुरूष एवं महिला) 18 से 42 वर्ष।
6. पैनल निर्माण का माप–दण्ड सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अद्यतन दिशा–निर्देश एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप होगा।
7. उन्हीं व्यक्तियों को कार्यानुभव का लाभ देय होगा जिन्होंने चर्तुथवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध कार्य किया है। कार्यानुभव प्रमाण–पत्र निर्गत करते समय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7365 दिनांक 29.06.2011, 66 दिनांक 06.01.2012, 9714 दिनांक 14.07.2016 एवं 639 दिनांक 16.03.2006 में निहित प्रावधान का अवश्य ध्यान रखेंगे। कार्यानुभव प्रमाण पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रपत्र में ही निर्गत किया जाना है।
8. संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को कार्यानुभव का लाभ देय नहीं होगा।
9. प्रारूप मेधा सूची का प्रकाशन कर दावा/आपत्ति प्राप्त की जायेगी। तद्नुसार दावा/आपत्ति का निराकरण कर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित की जायेगी।
10. आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों के आलोक में देय होगा।
11. अपूर्ण आवेदन–पत्र को अस्वीकृत कर दिया जाएगा। आवेदन–पत्र के प्रपत्र को टंकित/मुद्रित कराया जा सकता है, परन्तु इसकी प्रविष्टियाँ स्वहस्तलिखित रहना अनिवार्य है।
12. अभ्यर्थी को विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ स्वअभिप्रमाणित नियोजनालय में निबंधन का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, आरक्षण का लाभ लेने हेतु प्रमाण पत्र, विहित प्रपत्र में कार्य अनुभव प्रमाण पत्र एवं साईकिल चलाने जानने का स्वलिखित प्रमाण पत्र देना होगा। अपूर्ण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
13. इस विज्ञापन को सिवान जिला के वेवसाईट **www.siwan.bih.nic.in** पर भी देखा जा सकता है।

3/4/17

जिला पदाधिकारी,
सिवान।

03/4/17

नजारत उपसमाहर्ता

सिवान
3/4/17

सिवान जिला में चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति हेतु पैनल के लिए आवेदन का पपत्र
(विज्ञापन संख्या–01/2017–18)

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :– ....

2. पिता/पति का नाम :– ....

3. स्थायी पता :– ग्राम/मुहल्ला .... डाकघर :– ....

   थाना :– .... जिला :–.................... राज्य :– ....

4. पत्राचार का पता :– ग्राम/मुहल्ला .... डाकघर :– ....

   थाना :– .... जिला :–.................... राज्य :– ....

5. जन्म तिथि :– ....

6. आयु (दिनांक .... को) :–

7. साईकिल चलाने का ज्ञान (हॉ/नहीं) :–

8. स्वास्थ्य की स्थिति :–

9. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण–पत्र संलग्न करें) :– ....

10. अन्य योग्यता, यदि कोई हो :– ....

11. कोटि :–
    (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के सदस्य है, तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें) :–

12. नियोजनालय का नाम एवं निबंधन संख्या :– ....

13. कार्य अनुभव, यदि कोई हो (चतुर्थ वर्गीय पद पर कार्य करने के कार्यानुभव का विवरण) :–

    (सत्यापित प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

14. आवेदन के साथ अनुलग्नित कुल पृष्ठों की संख्या (अंक तथा अक्षर में) :–

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

घोषण पत्र

मैं .... एतद् द्वारा घोषण करता/करती हूॅ कि उपर्युक्त विवरणी मेरी जानकारी एवं विश्वास से सत्य है। यदि इसमें कोई तथ्य/सूचना गलत पाई जायेगी, तो उसके लिए मैं स्वयं उतरदायी होऊंगा/होंऊंगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर

कार्यानुभव प्रमाण पत्र

कार्यालय का नाम :– ....

ज्ञापांक ....दिनांक ....

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :– ....

पारिश्रमिक पर कार्य करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पता :– ....

किस रिक्त पद के विरूद्ध कार्य किया गया है :– ....

क्र0	किस तिथि से किस तिथि तक	दिवसों की संख्या	भुगतान की गयी राशि	क्या रिक्त पदों के विरूद्ध कार्य किया गया है ? यदि हाँ तो किस सक्षम पदाधिकारी के आदेश से कार्य किया गया है।
	कुल			

नोट :– 31.03.2017 के पूर्व का कार्य अनुभव ही मान्य होगा।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती .... को कुल ....दिनों का कार्य करने पर कुल ....राशि का भुगतान बिहार सरकार द्वारा प्राप्त राशि से की गई है।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मोहर

संचिका सं०—10 स्था०—08—औरंगाबाद/39/2011 सा०प्र०— 7365

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

बिमलेश कुमार झा
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
औरंगाबाद

पटना, दिनांक— 29-6-11

विषय : चतुर्थवर्गीय कर्मियों के पैनल निर्माण के मार्गदर्शन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि चतुर्थवर्गीय कर्मियों के पैनल निर्माण के संबंध में समय—समय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग), बिहार, पटना के द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं । इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना का पत्र सं०—16441 दिनांक 3.12.80 एवं पत्रांक 3577 दिनांक 25.4.1997 विशेष रूप से उल्लेखनीय है । तत्पश्चात् कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की अधिसूचना संख्या 207 दिनांक 26.3.2010 के द्वारा समूह 'घ' के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया एवं शर्तों का निर्धारण किया गया है । उच्च न्यायालय में एम०जे०सी० संख्या 3645/2010 मिथिलेश पाठक एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में वर्ग 'घ' समूह के पैनल निर्माण के लिए विशिष्ट रूप से मापदण्ड नहीं निर्धारित होने एवं उसके फलस्वरूप चयन प्रक्रिया में देरी होने के कारण अप्रसन्नता व्यक्त की गई थी एवं प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग एवं जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद को माननीय उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति का भी आदेश दिया गया था ।

2. इस आलोक में जिला पदाधिकारी औरंगाबाद के पत्रांक 170/स्था० दिनांक 23.6.2011 के क्रम में चतुर्थवर्गीय कर्मियों के पैनल निर्माण हेतु राज्य सरकार के पूर्व निर्गत परिपत्र के आलोक में निर्धारित अर्हताओं के अतिरिक्त निम्न अनुसार मापदण्ड का प्रयोग चयन के लिए किया जा सकता है :—

(i) जिन पदों के लिए जिला पदाधिकारी, चयन पदाधिकारी होते हैं तथा जिनके पारिश्रमिक का भुगतान बिहार सरकार की राशि से होता है, उन्हीं रिक्त पदों के विरूद्ध कार्य करने वाले दैनिक पारिश्रमिक के कार्यानुभव को वैध कार्यानुभव माना जा सकता है ।

(ii) चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदकों का वैध कार्यानुभव/मानव दिवसों की गणना के आधार पर न्यूनतम 240 दिन को अर्हता मानते हुए मेधा सूची में प्रथम प्राथमिकता पर रखा जा सकता है ।

(iii) रिक्त पदों के अवशेष रहने पर समाहरणालय एवं उससे सीधे रूप से सम्बद्ध कार्यालय यथा—अनुमण्डल कार्यालय, प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय इत्यादि में

दैनिक पारिश्रमिक के सदृश कार्य करने वाले कर्मियों के कार्यानुभव एवं मानव दिवसों की गणना कर मेधा सूची में द्वितीय प्राथमिकता पर रखा जा सकता है ।

(iv) समाहरणालय एवं उससे सीधे रूप से संबद्ध कार्यालयों के अतिरिक्त अन्य Line Department में कार्य करने वाले दैनिक पारिश्रमिक के तरह कार्य करने वाले कर्मियों के कार्यानुभव/मानव दिवसों को मेधा सूची मे तृतीय प्राथमिकता पर रखा जा सकता है ।

(v) उपर्युक्त बिन्दुओं में कार्यानुभव/मानव दिवस की गणना समान रहने पर आवेदक को अधिक उम्र के आधार पर मेधा सूची में प्राथमिकता पर रखा जा सकता है ।

(vi) बिना किसी कार्यानुभव वाले आवेदकों को अधिक उम्र के आधार पर मेधा सूची में चतुर्थ प्राथमिकता पर रखा जा सकता है ।

3. उपर्युक्त मार्गदर्शक सिद्धान्त पर विधि विभाग की सहमति प्राप्त है ।

अतः अनुरोध है कि एम०जे०सी० सं० 3645/2010 मिथिलेश पाठक एवं अन्य बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में ससमय अनुपालन की दिशा में ससमय आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से माननीय उच्च न्यायालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग को भी अवगत कराने की कृपा की जाए ।

विश्वासभाजन,

ह०/- 29/6/11

(विनोद कुमार झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या – 10 नया०–05–औरंगाबाद/39/2011 सा०प्र० 7365 /पटना, दिनांक–29-6-11

प्रतिलिपि : सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- 29/6/11

सरकार के उप सचिव

O/C